Date 25/4/2020 BA Part I (H) Sociology (I)

From - Dr Arun Kumar
Reader
Dept of Sociology
Shershah College
SASARAM

मुस्लिम विवाह (Muslim Family marriage)

मुस्लिम विवाह को निकाह कहा जाता है। उपयोगिता के स्तर पर मुस्लिम विवाह एक सामाजिक समझौता या नागरिक समझौता है। परन्तु व्यवहारिक स्तर पर भारत मे मुस्लिम विवाह भी धार्मिक है। भारतीय मुसलमानो मे अन्य समुदायों की तुलना मे तलाक की दर अधिक है।

मुसलमानो मे दो प्रकार के विवाहो की व्यवस्था है — (1) निकाह 'स्थायी विवाह' और (2) मुताह निकाह - अस्थायी विवाह

निकाह विवाह - एक सौदा है। मुस्लिम कानून "शरीयत" के अनुसार एक मुसलमान चाहे जितने 'निकाह' कर सकता है।

भारत मे मुस्लिम समुदाय दो प्रमुख सम्प्रदायो शिया एवम् सुन्नी मे विभाजित है। मोटे तौर मे लोग तीन समूहो मे विभाजित है।

(1) अशराफ (सैयद, शेख, पठान इत्यादि)
(2) अजलव (मोमिन, मंसूर हुश्राति इत्यादि
(3) अरजल (हलालखोर इत्यादि)

ये सभी समूह अंतर्विवाही माने जाते है तथा इनके बीच बहिर्विवाह को प्रोत्साहन नही दिया जाता है। कर्मकाण्ड की दृष्टि से विभिन्न सम्प्रदायो तथा समूहो मे अन्तर पाया जाता है। परन्तु हर मुस्लिम विवाह निकाह की धार्मिक विशेषताएँ एवं समान है।

विवाह के भागीदार :- मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार मुस्लिम - विवाह मे चार भागीदारो का होना आवश्यक है :-

(1) दूल्हा
(2) दुल्हन
(3) काजी
(4) गवाह - दो पुरुष या चार स्त्री गवाह जो सामाजिक धार्मिक कानूनी समझौता (निकाह) के साक्षी होते है।

दूल्हा और दुल्हन की काजी औपचारिक रूप से एक प्रिय स्थानीय समुदाय तथा चुने हुए गवाहो के सामने) पूछता है कि वे इस विवाह के लिए स्वेच्छा से राजी है या नही। यदि वे इस विवाह के लिए स्वेच्छा से राजी होने की औपचारिक घोषणा करते है तो निकाहनामा पर समझौते की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस निकाहनामे मे महर (या मेहर) की रकम शामिल होती है जिसे विवाह के समय या बाद मे दूल्हा - दुल्हन को देता है। महर एक प्रकार का स्त्रीधन है।

भारत मे विवाह की रस्म दुल्हन के घर पर ही करने की प्रथा है,

चचेरे भाई बहनो का विवाह मुसलमानो मे पसंदीदा विवाह माना जाता है। पुनर्विवाह मुस्लिम समुदाय मे निषिद्ध नही है।

Scanned by TapScanner

मुसलमानों में दो प्रकार के विवाह की अवधारणा है 'सही' तथा 'फसीद' या अनियमित विवाह निम्नलिखित स्थितियों में हो सकता है

यदि प्रस्ताव करते समय या स्वीकृति के समय गवाह अनुपस्थित हो:

एक पुरुष का पांचवा विवाह
एक स्त्री का इद्दत की अवधि मे किया गया विवाह।
पति और पत्नी के धर्म मे अन्तर होने पर।

तलाक – तलाक एक विवाह का कानूनी समापन है जब किसी भी अविश्वसनीय व्यक्तिगत विवाद के कारण पति/पत्नी एक साथ रहने के बजाए अलग होने का फैसला करते है। इस्लाम मे तलाक मुस्लिम निजी कानूनो द्वारा शासित है या तो पति या पत्नी के द्वारा शुरू किया जा सकता है।

तलाक के प्रकार -

न्यायिक तलाक – न्यायिक तलाक पति और पत्नी को अलग करने का एक तरीका है। जो अदालत द्वारा उन्हे नियंत्रित निजी कानूनो के द्वारा लागू किया जाता है।

इच्छा से तलाक पति या पत्नी तलाक के लिए अपनी इच्छानुसार या आपसी सहमति से फाइल कर सकते है पति और पत्नी मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के विघटन के तहत इच्छा से तलाक ले सकते है जो तलाक लेने के लिए पुरुष और महिला इस्लाम मे तलाक निम्नलिखित के आधार पर बांटा गया है।

(1) तलाक – तलाक का मतलब कानून के अनुसार पति द्वारा विवाह के संबंधो या विवाह के विघटन से स्वतंत्रता है।

तलाक-ए सुन्नत – इस्लाम मे इस तरह के तलाक को और बांटा गया है।

अहसान – अहसान मे तुहर यानि शुद्धता या 2 मासिक धर्म चक्रो के बीच का समय के दौरान एक तलाक का उच्चारण होता है तुहर की स्थिति केवल मौखिक तलाक के मामले मे लागू होती है न कि लिखित तलाक के मामले मे। इद्दत अवधि के दौरान पति और पत्नी के बीच कोई शारीरिक संबंध नही होना चाहिए

— 3

(3)

हसन - हसन को पति को लगातार 3 दिनों के दौरान तीन बार तलाक का उच्चारण करने की आवश्यकता होती है। इस अवधि के दौरान कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया जाना चाहिए। मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण कानून 2019 बिल के मुताबिक एक समय में तीन तलाक देना अपराध है। तीन तलाक देने पर पति को तीन साल की सजा

तलाक-ए बिदत - बिदत का अर्थ तत्काल तलाक है। यह इस्लाम में विवादास्पद 3 तलाक है जिसे भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा असवैधानिक माना गया था। जिसमें तलाक वैध होने की कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं है। जब पति तीन बार 'तलाक' शब्द का उच्चारण करता है तलाक तुरंत अंतिम होता है।

इला - इस्लाम में इस प्रकार के तलाक के तहत, पति 4 महीने की अवधि के लिए अपनी पत्नी के साथ यौन संबंधों से दूर रहने का वचन देता है। अगर पति इस अवधि के दौरान अपने पत्नी के साथ मिलता है तो इला रद्द कर दिया जाता है।

जिहर - इस्लाम में इस प्रकार के तलाक में पति अपनी पत्नी को अपनी माँ या पत्नी की तरह किसी अन्य महिला के बराबर शीर्षक देता है। पति को 4 माह तक इस पत्नी के साथ सहवास से बचना होता है। इस तरह के तलाक को रद्द कर दिया जा सकता है।

तलक-ए तफवेज - इसमें मुस्लिम व्यक्ति के पास अपनी पत्नी या किसी अन्य व्यक्ति को तलाक देने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करने का विकल्प है।

लिआन - अगर पति अपनी पत्नी या व्यभिचार या अस्वस्थता पर झूठा आरोप लगाता है तो कानून चरित्र की हत्या के आधार पर तलाक लेने के लिए एक इस्लामी महिला के अधिकार को मान्यता देता है।

पारस्परिक सहमति से तलाक - इस्लाम में एक प्रकार की आपसी सहमति तलाक है जिसे मुबारत कहा जाता है जिसमें तलाक के लिए प्रस्ताव पति या पत्नी द्वारा किया जाता है।

Dr. Arun Kumar
Reader
Dept of Sociology
Sherghati College
Sasaram.

Scanned by TapScanner

BA Part-I (4) Sociology -

इस्लाम का भारतीय समाज व संस्कृति पर प्रभाव -

1 स्त्रियों की स्थिति में गिरावट - मुसलमानों के प्रभाव के फलस्वरूप हिन्दू स्त्रियों की दशा में गिरावट आती गई मुसलमान हिन्दू कन्याओं का अपहरण और उनसे बलात विवाह करते थे। अतः स्त्रियों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई और उन्हें घर की चारदीवारी में बंद रहने के लिए बाध्य कर दिया गया।

2 - जाति व्यवस्था का कठोर होना - मुसलमानों से अपना धर्म तथा समाज की रक्षा के उद्देश्य से हिन्दुओं ने जाति प्रथा के बन्धनों को कठोर बना दिया। नियमों का उल्लंघन करने वाले को जाति से निष्कासित कर दिया जाता था।

बाल विवाह - मुसलमानों द्वारा अपहरण के भय से हिन्दू लोग अपनी कन्याओं का विवाह बाल अवस्था में ही कर देते थे भारतीय समाज में बाल विवाह का प्रचलन इस्लाम के प्रभाव को ही देन है।

पर्दा प्रथा - भारतीय समाज में पर्दा प्रथा को भी इस्लामी सभ्यता की देन माना जाता है।

बहु विवाह इस्लाम के प्रभाव के कारण बहु विवाह प्रथा को भी प्रोत्साहन मिला

सती प्रथा तथा जौहर प्रथा - मुसलमानों के आगमन के पश्चात सती प्रथा का प्रचलन बढ़ता चला गया मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद जब तुर्क शासकों का आक्रमण राजपूत राज्यों पर होने लगा तो राजपूत रानियाँ व अन्य स्त्रियाँ अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर द्वारा प्राण त्याग देती थी।

दास प्रथा - भारतीय समाज में दास प्रथा इस्लाम के प्रवेश से पहले से ही थी, परन्तु मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद दास प्रथा अधिक विकसित हुई

स्त्री शिक्षा के विकास में बाधा - स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया गया जिससे उन्हें शिक्षा से वंचित रहना पड़ा।

वेशभूषा पर प्रभाव - मुसलमान पायजामा, शेरवानी अचकन तथा कुर्ता आदि पहनते थे मुसलमानों के सम्पर्क में आने वाले भारतवासियों ने भी इस प्रकार की वेशभूषा को अपना लिया।

खान पान के क्षेत्र में प्रभाव - मुस्लिम प्रभाव के कारण भारत में बालूशाही कलाकंद गुलाब जामुन इमरती इत्यादि मिठाइयों का प्रचलन हुआ इसके अतिरिक्त भारतीयों में मांस का सेवन करने की प्रवृत्ति बढ़ी।

Scanned by TapScanner

धार्मिक कट्टरता का जन्म – इस्लाम के आघातो से धर्म को बचाने के लिए रूढ़िवादिता तथा धार्मिक कट्टरता का जन्म हुआ अतः धार्मिक नियमो तथा रीति रिवाजो मे कठोरता लाने का प्रयास किया जाने लगा

एकेश्वरवादी भावना – इस्लाम की एकेश्वरवादी की भावना ने हिन्दु विचारको को भी प्रभावित किया।

मूर्ति पूजा मे अविश्वास – इस्लाम धर्म मूर्ति पूजा का कट्टर विरोधी है जब मुसलमान आक्रमणकारी भारत आए तो उन्होने हिन्दु देवी-देवताओ की मूर्तियो का खंडन करना शुरु कर दिया हिन्दुओ का मूर्ति पूजा से धीरे धीरे विश्वास उठने लगा।

भक्ति आंदोलन – यद्यपि भक्ति आंदोलन इस्लाम के प्रभाव के फलस्वरूप प्रारम्भ नही हुआ था परन्तु जब वह इस्लाम से प्रभावित अवश्य हुआ है। मुसलमानो शासको के अत्याचार से पीड़ित जनता मे निराशा की भावना उत्पन्न हो गई तथा उन्हे सर्वशक्तिमान ईश्वर की भक्ति मे ही अपनी सुरक्षा दिखाई देने लगा।

विभिन्न सुधार – इस्लाम के फलस्वरूप धार्मिक सुधारो का प्रादुर्भाव हुआ कबीर, नानक, दादू रैदास आदि सुधारको ने जाति तथा छुआछूत धार्मिक पाखंडो तथा बाह्य आडम्बरो का विरोध किया तथा शुद्ध आचरण ईश्वर की एकता हृदय की शुद्धता आदि पर बल दिया

आर्थिक क्षेत्र मे प्रभाव – भारत का प्रशांत महासागर और भूमध्य सागर के देशो तक फैलाया भारत मे वस्त्र, अनाज नील हाथीदांत का सामान अफीम आदि का आयात किया जाता था कृषि के साधनो मे पर्याप्त उन्नति के कारण उपज बढ़ गई।

शासन पर प्रभाव – इस्लाम के प्रभाव से भारत के छोटे छोटे राज्य शासन से एकसूत्र के अन्तर्गत आ गए।

कला क्षेत्र मे प्रभाव – मुगलकाल के हिन्दु राजाओ के महलो पर मुगल निर्माण शैली का बहुत प्रभाव पड़ा

साहित्य एवं भाषा पर प्रभाव – भारतीय भाषाओ पर भी फारसी, अरबी और तुर्की भाषाओ का प्रभाव पड़ा।

भारतीय युद्ध प्रणाली पर प्रभाव – हिन्दुओ ने मुसलमानो से तोपखाने तथा बारूद का प्रयोग सीखा।

भारतीय संस्कृति पर — (6)
पाश्चात सभ्यता का प्रभाव —

संस्कृति किसी समाज मे गहराई तक व्याप्त गुणो के समग्र रूप का नाम है जो उस समाज को सोचने, विचारने, कार्य करने खाने-पीने बोलने नृत्य गायन साहित्य कला आदि मे परिलक्षित होती है। हमारे भारत देश की संस्कृति को भारतीय अथवा हिंदू संस्कृति के नाम से जाना जाता है।

(1) पहनावा - सबसे पहले अगर हम पहनावे की बात करे तो जहाँ भारतीय संस्कृति का पहनावा सूट साड़ी कुर्ता पाजामा आदि है तो वही पाश्चात्य संस्कृति का पहनावा पैंट शर्ट स्कर्ट - टॉप आदि है जब अंग्रेज लोग भारत मे आते है तो यहाँ के पहनावे की ओर आकर्षित होते है जब कोई भारतीय विदेश जाता है तो वह भी वहाँ के पहनावे की ओर आकर्षित होता है लेकिन साथ साथ उस पहनावे को अपना लेता है

2 सामाजिक स्थिति - एक समय था जब हमारे युवाओ के आदर्श सिद्धान्त, विचार, चिन्तन और व्यवहार सर्वरूप भारतीय संस्कृति के रंग मे रंगे हुए होते थे। वे स्वयं ही अपने संस्कृति के संरक्षक थे। परन्तु आज उपभोक्तावादी पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध से भ्रमित युवा वर्ग को भारतीय संस्कृति के अनुगमन मे पिछड़ेपन का एहसास होने लगा है। जिस युवा ~~पीढ़ी पर~~ पीढ़ी के ऊपर देश के भविष्य की जिम्मेवारी है, जिसकी ऊर्जा से रचनात्मक कार्य सृजन होना चाहिए उसकी पसंद मे नकारात्मक दृष्टिकोण हावी हो चुका है। संगीत हो या सौंदर्य प्रेरणा स्त्रोत की बात हो या राजनीति का क्षेत्र या फिर स्टेटस सिंबल की पहचान सभी क्षेत्रो मे युवाओ की पाश्चात्य संस्कृति मे ढली नकारात्मक सोच स्पष्ट परिलक्षित होने लगी है। आज जो भी संगीत बज रहा है वो पॉप संगीत है हमे सांस्कृतिक विरासत मे मिले शास्त्रीय संगीत व लोक-संगीत के स्थान पर युवा पीढ़ी ने पॉप संगीत को स्थापित करने का फैसला किया है। उनका झुकाव पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज्यादा है। आज लड़किया ऐसे पहनावा पहन रही है जो हमारे यहा अनुचित माना जाता है। आज युवा वर्ग अपने को पाश्चात्य संस्कृति मे ढालने मात्र को ही अपना विकास समझते है भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव लगातार बढ़ते जा रहा है।

From.
Dr. Arun Kumar
Reader
Deptt of Sociology
Sher Shah College
Sasaram
Date 25/11/2020